

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4001

17.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

चीन में लिथियम से संबंधित नीतिगत परिवर्तनों के कारण ईवी पर प्रभाव

4001. श्री सुधीर गुप्ता:

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन में लिथियम की आपूर्ति, मूल्य निर्धारण या निर्यात नियंत्रण से संबंधित हाल की नीति अथवा बाजार विकास में परिवर्तन से भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी)

विनिर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय ईवी कंपनियों के लिए लिथियम और उससे संबंधित कच्चे माल की लागत पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) देश में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के संरक्षण के लिए लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के वैकल्पिक स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधानों से बचाने के लिए कोई नीतिगत समर्थन, प्रोत्साहन या सुरक्षा उपाय शुरू करने पर भी विचार कर रही है/योजना बना रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए आयातित लिथियम पर निर्भरता को कम करने हेतु किए गए/किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (एसआईएएम) से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारत वर्तमान में लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर अत्यधिक निर्भर है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में उपयोग की जाने वाली लिथियम-आयन बैटरी के लिए आवश्यक हैं। वर्तमान में पूरी मांग आयात के माध्यम से पूरी की जाती है, जिससे यह क्षेत्र बाहरी शॉक्स के प्रति संवेदनशील हो जाता है। चीन में हाल ही में हुए

नीतिगत घटनाक्रम, विशेष रूप से उच्च-प्रदर्शन वाली लिथियम-आयन बैटरी (≥ 300 Wh/kg), कैथोड सामग्री, कृत्रिम-ग्रेफाइट एनोड और संबंधित विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर निर्यात नियंत्रण और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को लागू करने के निर्णय से निकट भविष्य में वैश्विक आपूर्ति की स्थिति और भी कठिन हो सकती है। इससे भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के लिए आपूर्ति श्रृंखला में संभावित असुरक्षा पैदा हो सकती है, जो चीनी मध्यवर्ती प्रसंस्करण पर निर्भर हैं।

(ग): लिथियम और बैटरी के अन्य कच्चे माल वैश्विक स्तर पर कारोबार की जाने वाली वस्तुएं हैं, और उनकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय मांग-आपूर्ति की स्थितियों से प्रभावित होती हैं। किसी भी वैश्विक नीतिगत बदलाव या आपूर्ति में व्यवधान के कारण लिथियम, कोबाल्ट और निकेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है। चीन द्वारा घोषित निर्यात नियंत्रणों से निकट भविष्य में वैश्विक घटक कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है, जो भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों की लागत संरचना को सीधे प्रभावित करेगी। हालांकि, बैटरी की कीमतों पर समग्र प्रभाव प्रौद्योगिकी में सुधार, बड़े पैमाने पर उत्पादन से होने वाली बचत और विनिर्माण के स्थानीयकरण से भी प्रभावित होता है।

(घ) और (छ): सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम सहित) की दीर्घकालिक टिकाऊ आपूर्ति सुनिश्चित करना और खनिज अन्वेषण और खनन से लेकर लाभकारीकरण, प्रसंस्करण और जीवन चक्र के अंत में उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक के सभी चरणों को शामिल करते हुए भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। इसके अतिरिक्त, देश में महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं।

i. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29.01.2025 को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारत की महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना और महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना है।

ii. 2023 में एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन के बाद से, केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के 46 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इसके अतिरिक्त, अन्वेषण लाइसेंस व्यवस्था के तहत 7 ब्लॉकों की नीलामी की गई है, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक हैं।

iii. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन स्कीम को मंजूरी दी है। स्कीम का शुभारंभ 02.10.2025 को हुआ और स्कीम के दिशानिर्देश जारी किए गए।

iv. ऊपरी परत/ अपशिष्ट पदार्थ/ राख/ लाल मिट्टी आदि से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए पायलट परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु दिशानिर्देश 14.11.2025 को जारी किए गए थे।

v. सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) करने हेतु नौ प्रमुख संस्थानों को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के तहत उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के रूप में मान्यता दी है।

vi. खान मंत्रालय के अधीन स्थित खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के एक सरकारी उद्यम, सीएमवाईएन के साथ अर्जेंटीना में 15703 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले पांच लिथियम ब्राइन ब्लॉकों के अन्वेषण और खनन के लिए एक अन्वेषण और विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ड) और (च): भारी उद्योग मंत्रालय में ऐसी कोई नीति विचाराधीन नहीं है।
